V-190 Cr.J.(E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 260- 265 OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

IN THE COURT OF PANKAJ SHARMA JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, GOHAD DISTRICT BHIND

CASE NO60317 2016 COMPLAINT/REPORT made on 23-12-2016 Name and address of the complaintant: मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र।
03, प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।
Name, parentage, caste and address of accused
हुमावाभप 8/० शुक्लाल वाभम् उम् प०धाल
हु भावाभ्य जार सुबलाल वामन उर परनाल
िनगसी वाद्यम भोहल्ला काला भी जिला भिड
The offense complained of, date of its alleged commission कि आपने कम्मा वार्यभे दिनांक -13-16-16 समय स्थान न्या व्यक्ति मी, जिला-मिण्ड पर
हाथ ठेला लगाकर / अन्य प्रकार से आम जनता के आवागमन में व्यवधान कारित किया। और ऐसा कर आपने वह अपराध किया जो धारा 34 पुलिस एक्ट के अधीन होकर इस न्यायालय
के संज्ञान में है।
प्रकर्ण शर्मा जे एम एफ सी गोहन जिला भिण्ड
The Plea of acused and his examination (if Any)-

धारा 206 द.प्र.सं का संमंस बाद तामील प्राप्त जिसमें अभियुक्त ने लिखित अभिवाक् कर स्वेच्छ्या से अपराध को का स्वीकार किया अभिवाक् पृथक से संलग्न है।

पंकज शर्मा जे एम एफ सी गोहद जिला भिण्ड गाउँ में उस्टूट प्रवर्भ

(<u>आज दिनांक : ०.८) १५ ।</u> को पारित किया गया)

01. उपरोक्त अभियुक्त को स्वेच्छ्या पूर्वक की गयी स्वीकारोक्ति के अभिवाक् के परिणामस्वरूप धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
02. आरोपी को धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दस रूपये (10 / रु) के अर्थदण्ड़ से दिण्ड़त `

किया जाता है।

03.. प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।

पंक्रज शर्मा जोएम एफ सी गोहद्ग जिला भिण्ड शेंडद, जिला-किण्ड (म.प्र.)